

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

प्रति वर्ष 40/रुपये

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 5

अंक सं. : 4

नवम्बर 2012

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मौद्रिक नीति की समीक्षा -----	1
मुख्य घटनाएं-----	2
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां-----	2
बैंकिंग अगत की घटनाएं-----	3
विनियामकों के कथन -----	4
बीमा -----	5
अंतरराष्ट्रीय समाचार -----	5
विदेशी मुद्रा -----	5
ग्रामीण बैंकिंग -----	5
नयी नियुक्तियां-----	5
उत्पाद एवं गठजोड़ -----	6
अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक-----	6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी- -----	7
शब्दावली -----	7
संस्थान की गतिविधियां -----	7
संस्थान समाचार-----	7
बाजार की खबरें-----	8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मद्दें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मद्दों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मद्दों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

2री तिमाही की मौद्रिक नीति की समीक्षा - 30 अक्टूबर, 2012

नीतिगत उपाय

- 3 नवम्बर 2012 से आरंभ होने वाले पखवाड़े से अनुसूचित वाणज्यिक बैंकों का आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) 25 आधार अंक घटा कर 4.5% के स्थान पर उनकी निवल मांग एवं सावधि देयताओं का 4.25% कर दिया गया। इस कटौती से बैंकिंग प्रणाली में लगभग 175 बिलियन रुपये की प्राथमिक चलनिधि आएगी।
- चलनिधि समायोजना सुविधा (LAF) के तहत पुनर्खरीद (Repo) दर 8% पर अपरिवर्तित।
- चलनिधि समायोजना सुविधा (LAF) के तहत प्रति-पुनर्खरीद (Reverse Repo) दर 7% पर कायम रहेगी।
- सीमांत अस्थायी सुविधा (MSF) दर 9.0% पर कायम है।

मुद्रास्फीति

- सुरिखियों में आई थोक मूल्य सूचकांक (WPI) मुद्रास्फीति (वर्षानुवर्ष) दूसरी तिमाही के अंत तक 7.5% से अधिक के स्तर पर निश्चल रही। सितम्बर में उच्च ईंधन मूल्य और खाद्येतर विनिर्मित उत्पादों के बढ़े मूल्य स्तरों के कारण सुरिखियों में आई मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। खाद्येतर विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति जुलाई-सितम्बर की पूरी अवधि में 5.6% पर स्थिर रही।

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) उच्च स्तर पर कायम रहा, जिससे खाद्य मूल्य सम्बन्धी दबावों के जमावड़े का घोतन होता है। जून-सितम्बर की अवधि के दौरान उपभोक्ता मूल्य से सम्बन्धित मुद्रास्फीति में खाद्य और ईंधन समूहों को छोड़ कर मामूली कमी आई।

मौद्रिक एवं चलनिधि स्थितियां

- मुद्रा आपूर्ति (एम), जमा एवं ऋण वृद्धि अब तक भारतीय रिजर्व बैंक की अप्रैल की नीति में यथा-वर्णित और जुलाई की समीक्षा में पुनरावृत्त प्रक्षेप-पथ से कम रही है। जमा वृद्धि विशेष रूप से सावधि जमाराशियों की ब्याज दरों में कमी के फलस्वरूप घटी है। ऋण वृद्धि में विशेषतः मूलभूत सुविधा की तुलना में निवेश की मांग में मंदी तथा सामान्य रूप से उद्योग द्वारा ऋण के कमतर अवशोषण के पर्यामस्वरूप कमी आई है। अब तक की घटनाओं और वर्षात में बढ़ोतरी को देखते हुए वर्ष 2012-13 के मौद्रिक संयोजनों के प्रक्षेप-वक्रों के मुद्रा आपूर्ति (एम) के मामले में 14%, जमा वृद्धि के मामले में 15% और खाद्येतर ऋण वृद्धि के मामले में 16% रहने का अनुमान है।
- चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत जुलाई-सितम्बर के दौरान औसत निवल उधार राशियों के 486 बिलियन रुपये के स्तर में यथा-प्रतिबिंबित चलनिधि की स्थितियां निवल मांग एवं सावधि देयताओं के (+/-) 1% वाले सहूलियत के स्तर पर रहीं। हालांकि, अक्टूबर में मुख्यतः सरकार के नकद शेषों में बढ़ोतरी और मुद्रा मांग में मौसमी वृद्धि के कारण मौद्रिक स्थितियां कठिन हो गई; इसप्रकार चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत औसत उधार राशियां निवल मांग एवं सावधि देयताओं की (+/-) 1% वाली पट्टी से काफी अधिक बढ़ कर 15 -25 अक्टूबर के दौरान 871 बिलियन रुपये तक पहुंच गई।

वृद्धि

- निरंतर चार तिमाहियों में वृद्धि में गिरावट आई, जो 2010-11 की चौथी तिमाही में वर्षानुवर्ष 9.2% से कम हो कर 2011-12 की चौथी तिमाही में 5.3% रह गई। वर्ष 2012-13 के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि से सम्बन्धित आधार-रेखा अनुमान 6.5 से घट कर 5.8% रह गया।

मुख्य घटनाएं

नो फ़िल्स डिमैट खातों की शुरुआत

छोटे वैयक्तिक निवेशकों को शेयरों, पारस्परिक निधियों और अन्य प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय करने के लिए 50, 000 रुपये तक की धारिता के लिए किसी प्रकार के वार्षिक रख-रखाव प्रभार के बिना नो फिल्स डिमैट खातों की सुविधा प्राप्त होगी। इसके अलावा, पोर्टफोलियो का मूल्य 2 लाख रुपये तक होने पर ये प्रभार अधिकतम 100 रुपये प्रति वर्ष की दर पर सीमित होंगे।

सभी वयस्कों के लिए बैंक खातों वाला पहला जिला

100% साक्षरता का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का पहला होने के बाद एर्णाकुलम प्रत्येक वयस्क के लिए बैंक खाते की सुविधा वाला देश का पहला जिला बनने की राह पर है। एर्णाकुलम स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अग्रणी जिला प्रबन्धक श्री जयप्रकाश के. आर. ने कहा कि "प्रत्येक वयस्क की उसके बैंकिंग इतिवृत्त के आधार पर नाममात्र की ब्याज दर पर और बीमा सुरक्षा के साथ ऋण तक पहुंच होगी। कुडुम्बश्री मिशन द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि जिले में बैंक खाते कि बिना लगभग 20% वयस्क मौजूद हैं। बैंक इन लोगों को विप्रेषण सुविधाएं और सूक्ष्म-बीमा पॉलिसियां प्रदान करेंगे।"

चुनिंदा भुगतानों का सीधा अंतरण शीघ्र ही

अनुपम पहचान संख्या (आधार) के सुदृढ़ डाटाबेस से सुसज्जित सरकार शीघ्र ही भुगतानों के एक संग्रह - छात्रों की छात्रवृत्तियों, पेंशनों और ग्रामीण कार्य गारंटी योजना के भुगतानों के लाभार्थियों के खातों में सीधे अंतरण की औपचारिक शुरूआत करेगी। इसकी शुरूआत एलपीजी से सम्बन्धित सरकारी सहायता के छिटपुट चोरी-मुक्त विधि के माध्यम से वितरण करते हुए की जाएगी। धनराशि आधार भुगतान सेतु प्रणाली (APBS) जो लाभों के हिताधिकारियों के उनकी आधार संख्याओं से सम्बद्ध बैंक खातों में वितरण को सुगम बनाने वाली एक केन्द्रीकृत लाभ अंतरण व्यवस्था है, का उपयोग करते हुए बैंक खातों में अंतरित की जाएगी।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

नये बैंकिंग लाइसेंस

सरकार नये बैंकिंग लाइसेंस प्रदान करने की शुरूआत शीघ्र ही किए जाने की आशा करती है। भारतीय रिजर्व बैंक चाहता है कि नये लाइसेंस देने की प्रक्रिया की शुरूआत करने से पहले बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाए। भारतीय रिजर्व बैंक का हमेशा से यह दृष्टिकोण रहा है कि वह नये बैंक लाइसेंस जारी करने हेतु केवल तभी तैयार होगा जब उसे इस क्षेत्र का विनियमन करने के अधिकार (शक्ति) दिए जाएं। संशोधन विधेयक भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों के निदेशक मंडलों को अधिक्रमित करने तथा प्रणालीगत जोखिमों से बचने के लिए बैंकों की

अन्य सहायक कम्पनियों का निरीक्षण करने का / की अधिकार (शक्ति) प्रदान करता है। बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक में संसद की स्थायी समिति द्वारा यथा-संस्तुत निजी बैंकों को मताधिकारों को अधिकतम 10% से बढ़ा कर 26% करने की अनुमति दिए जाने की भी व्यवस्था है। 5% से अधिक इक्विटी हित खरीदने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन अनिवार्य होगा।

बैंकों के लिए प्राथमिकताप्राप्त उधार मानदंड शिथिलीकृत

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए कृषि क्षेत्र में प्राथमिकताप्राप्त उधार (PSL) मानदंडों को पूरा करना आसान कर दिया है। कृषि उपज कम्पनियों, भागीदारी फर्मों तथा कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न सहकारिताओं सहित कारपोरेटों को प्रति उधारकर्ता 2 करोड़ रुपये की कुल सीमा तक के ऋणों को प्रत्यक्ष कृषि उधार के रूप में वर्गीकृत किया गया। उपर्युक्त मामलों में प्रति उधारकर्ता कुल ऋण सीमा के 2 करोड़ रुपये से अधिक होने पर उस ऋण को कृषि को अप्रत्यक्ष ऋण माना गया। बैंकों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि उधार के लक्ष्य पिछले वर्ष के मार्च के अंत में प्राप्त समायोजित निवल बैंक ऋण के क्रमशः 13.5% और 4.5% निर्धारित किए गए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि ऋणों पर ब्याजगत आर्थिक सहायता निर्धारित की

अब भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को किसानों को दिए जाने वाले 3 लाख रुपये तक अल्पावधिक उत्पादन ऋणों पर 2% प्रति वर्ष की ब्याजगत आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। यह सरकारी अनुदान इस शर्त के अध्ययीन है कि वे 3 लाख रुपये तक के अल्पावधिक उत्पादन ऋण निचले स्तर पर 7% प्रति वर्ष पर उपलब्ध कराएं। फसल ऋण की रकम पर सरकारी अनुदान की रकम की गणना उसके संवितरण / कृषक द्वारा फसल ऋण की वास्तविक चुकौती की तिथि तक आहरण की तिथि से की जाएगी।

विदेशों द्वारा स्वाधिकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी की सहायक कम्पनियों के लिए पूंजी से सम्बन्धित मानदंड सरलीकृत

75% से अधिक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) वाली किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (NBFC) के लिए सरकार द्वारा उक्त उद्देश्य से न्यूनतम पूंजीगत अपेक्षा मानदंडों को शिथिल कर दिए जाने के बाद निचले स्तर वाली सहायक कम्पनियां गठित करना आसान हो सकता है। सरकार ने नीति की समीक्षा की है और 75% से अधिक किन्तु 100% से कम के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली और न्यूनतम 50 मिलियन अमरीकी डालर के पूंजीकरण वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को परिचालनरत सहायक कम्पनियों की संख्या के सम्बन्ध में किसी प्रतिबंध के बिना तथा अतिरिक्त पूंजी लाए बिना विशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी के कार्यकलापों के लिए निचले स्तर वाली (Stepdown) सहायक कम्पनियां स्थापित किए जाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इस नियम ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

वाली कम्पनियों के लिए कारबार को बहुत ही पूँजी प्रधान बना दिया है, क्योंकि उनमें से अधिकांश वि-
भिन्न प्रकार के व्यवसायों को चलाने के लिए सहायक कम्पनी वाले ढांचे को अधिमान देती हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व-प्रदत्त कार्ड के अपने ग्राहक को जानिए मानदंड संशोधित किए

भारतीय रिजर्व बैंक ने उस सीमा को बढ़ा कर 10,000 रुपये कर दिया है जो ग्राहकों के न्यूनतम विवरण स्वीकार करते हुए अर्ध-सीमित (semi-closed) पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखतों पर प्राप्त की जा सकती है। यह सीमा वैध है। बशर्ते किसी भी समय पर बकाया रकम तथा एक निश्चित माह के दौरान पुनर्भरणों का कुल मूल्य 10,000 रुपये से अधिक न हो। हालांकि, इस प्रकार के अपने ग्राहक को जा निए विवरणों वाले कार्ड पुनर्भरणीय नहीं होंगे। अपने ग्राहक को जानिए कार्यविधि के बारे में पूरे विवरण प्राप्त करके जारी किए जाने वाले पूर्व-प्रदत्त लिखतों को पुनः भरा जा सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक जमा के इकिटी में रूपांतरण के मुद्दे पर विचार करेगा

भारतीय रिजर्व बैंक जमाराशियों को इकिटी अथवा ऋण में रूपांतरित करने के सम्बन्ध में दबावग्रस्त शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के वित्तीय पुनर्संरचना वाले प्रस्तावों पर विचार करेगा। वित्तीय रूप से सुदृढ़ बैंक ऐसे कमजोर शहरी सहकारी बैंकों को अभिगृहीत करने के अनिच्छुक हैं, जिनमें जमाक्षरण अधिक है। ऐसी स्थितियों में कमजोर शहरी सहकारी बैंकों की देयताओं (जमाराशियों) को पुनर्संरचित करना एक व्यवहार्य प्रस्ताव है। जमाराशियों के रूपांतरण पर विचार ऋणदाताओं की निवल मालियत (इकिटी + आरक्षित निधियों) के रूपांतरण के बाद धनात्मक न होने पर भी किया जाएगा। हालांकि, रूपांतरण छोटे जमाकर्ताओं सहित जमाकर्ताओं की सहमति के अधीन होगा।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए विदेश में विस्तार योजना

सरकार न केवल नये बैंक लाइसेंसों को शीघ्र जारी करके वित्तीय समावेशन में गहनता लाने की इच्छुक है, अपितु वह चाहती है कि घरेलू बैंक आक्रामक रूप से आगे बढ़ कर विदेशी तटों तक भी जा पहुंचे। विचार यह है कि ऐसे समय में जब वैश्विक वित्तीय प्रणाली संकट से पुनः स्वस्थ हो रही है अधिक कठोरतापूर्वक विनियमित किए जाने के कारण भारतीय बैंकों को विदेशी बाज़ारों में प्राप्त अनुभूत विश्वसनीयता का लाभ उठाया जाए। वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से विदेशों में उनके अवयवी (शाखाओं और ग्राहकों) एवं निरवयवी (अभिग्रहण) विस्तार के लिए रणनीतिक दस्तावेज को तत्काल अंतिम रूप प्रदान करने के लिए कहा है।

अशोध्य ऋणों में वृद्धि ने बैंकों को जोखिम विमुख बनाया

अशोध्य ऋणों में स्थिर वृद्धि के बाद बैंक जोखिम विमुख हो गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थूल-आर्थिक एवं मौद्रिक समीक्षा के अनुसार बैंकों की सकल और निवल अनर्जक आस्तियों का अनुपात पिछले वित्त वर्ष में सभी बैंक समूहों में बदतर प्रवृत्ति के बाद अप्रैल- जून वाली तिमाही के दौरान और कम हो गया। आस्ति की गुणवत्ता और स्थूल-आर्थिक स्थितियों में गिरावट के परिणामस्वरूप जोखिम विमुखता और बढ़ गई। इसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा भारी मात्रा में उधार लिये जाने की पृष्ठभूमि में ऋण सृजन से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के रूप में पोर्टफोलियों में बदलाव की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई।

35 लाख रुपये तक के गृह ऋणों के लिए प्राथमिकताप्राप्त का दर्जा जरूरी

आवास क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बैंक विनियमनों में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अधीन परिभाषा में संशोधन और मकान खरीदने के लिए मार्जिन सम्बन्धी आवश्यकता में कटौती सहित रणनीतिक बदलाव चाहते हैं। सम्पत्ति के मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए भारतीय बैंक संघ की एक समिति ने वित्त मंत्रालय से 35 लाख रुपये (वर्तमान सीमा 25 लाख रुपये) तक के गृह ऋणों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का दर्जा दिए जाने की सिफारिश की है। इसके परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा आवास ऋण वहनीय दरों पर दिए जाएंगे, इसप्रकार स्तर ॥ और स्तर ॥। वाले शहरों / कस्बों में ग्राहकों के एक विशाल समूह को लाभ पहुंचेगा। इसके अतिरिक्त, एक इकाई की कीमत 35 लाख रुपये के भीतर वाले वहनीय मकान निर्मित करना वाले भवन-निर्माताओं को ऋण प्राथमिकताप्राप्त के रूप में वर्गीकृत किए जाने चाहिए। इसके बाद भवन-निर्माता अधिमानी ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे ऐसे खण्डों में आवासीय परियोजनाओं में तेजी लाई जा सकती है, जहां इकाई लागत 35 लाख रुपये से अधिक न हो।

भारतीय रिजर्व बैंक का ई-भुगतान की मूलभूत सुविधा में विस्तार का आवाहन

भारतीय रिजर्व बैंक को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान स्वीकृति की मूलभूत सुविधा, यथा एटीएमों, बिक्री केन्द्र टर्मिनलों, सूक्ष्म एटीएमों और विशेष रूप से देश के अल्प-बैंकिंग सुविधा वाले तथा बैंकिंग सुविधा र हित खण्डों में हाथ में रखे जाने वाले उपकरणों में विस्तार करना अत्यावश्यक लगता है। भारत में 10 मिलियन से अधिक खुदरा व्यापारियों में से मुश्किल से 0.6 मिलियन के पास कार्ड भुगतान स्वीकार करने की मूलभूत सुविधा है। इस संख्या को बढ़ाने के लिए किसी भुगतानकर्ता द्वारा किसी बैंक की किसी शाखा से अथवा किसी प्राधिकृत बैंकेतर संस्था से ऋण अंतरण करने हेतु एक इलेक्ट्रॉनिक गिरों उपकरण को आजमाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की मूलभूत सुविधा में इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ECS) का काफी बड़ा हिस्सा है, जिसके बाद कार्डों और बिलों के भुगतान में बैंक खातों के निधीयन का स्थान है। बिल भुगतान के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक गिरों प्रणाली विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

एफएसएलआरसी द्वारा वित्तीय क्षेत्र के लिए नये मॉडेल पर विचार

सरकार द्वारा गठित एक पैनल ने भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका को मौद्रिक नीति और बैंकिंग पर्यवेक्षण तक सीमित रखते हुए सरकारी ऋण का प्रबन्धन करने हेतु एक स्वतंत्र कार्यालय गठित किए जाने और वित्तीय क्षेत्र का एकमात्र विनियामक रखने के विचार का समर्थन किया है। प्रस्तुत किए गए एक अभिगम दस्तावेज़ में वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (FSLRC) के प्रधान न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण ने वित्तीय क्षेत्र को विनियमित एवं विकसित करने और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक 7 एजेन्सी वाले मॉडेल की पैरवी की है।

बैंक सूचना बांटने की अंतिम अवधि 2013

अधिकांश बैंकों द्वारा सहायता संघीय उधार, जिससे सूचना तक पहुंच बढ़ती है, को तरजीह दिए जाने के बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के बीच सूचना में हिस्सेदारी को 2013 से अनिवार्य कर दिया है। सहायता संघीय उधार में किसी ऐसी बड़ी परियोजना, जिसमें भारी मात्रा में धनराशि आवश्यक होती है, का वित्तीयन करने के लिए दो या उससे अधिक बैंक एक साथ मिल जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को ऋण से सम्बन्धित सूचना को आपस में बांटने के सम्बन्ध में अनुदेशों का सख्ती से पालन करना चाहिए तथा दिसम्बर, 2012 तक सूचना में हिस्सेदारी करने के लिए एक प्रभावी व्यवस्था लागू करनी चाहिए। केन्द्रीय बैंक ने यह चेतावनी दी है कि बैंकों द्वारा इन मानदंडों का पालन न किए जाने पर उन्हें जुरमाने सहित कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। केन्द्रीय बैंक ने कहा है कि "1 जनवरी, 2013 से नये / मौजूदा उधारकर्ताओं को नये ऋणों / तदर्थ ऋणों / ऋणों के नवीकरण की कोई भी स्वीकृति केवल आवश्यक सूचना प्राप्त होने / बांटने के बाद ही दी जानी चाहिए।"

विनियामकों के कथन

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस्लामिक बैंकिंग के लिए कानूनों में संशोधन की मांग

भारतीय रिजर्व बैंक काफी अधिक चर्चित इस्लामिक बैंकिंग भारत में लाने पर विचार कर रहा है। इसकी कार्यप्रणाली में अन्तर्निहित जटिलताओं को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम को संशोधित किए जाने या फिर नये नियम बनाए जाने की संभावना का पता लगाते हुए केन्द्र के साथ पत्राचार की शुरुआत कर दी है। विवाद का विषय ब्याज का भुगतान है, जो इस्लामिक बैंकों में निषिद्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव का कहना है कि "मौजूदा कानूनों के अनुसार बैंकों से भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेना और उसके पास (धन) जमा करना अपेक्षित है, जिसमें ब्याज दरों के तत्व निहित होंगे। जबकि बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे जो धनराशि भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं उस पर ब्याज दें, वहीं उन्हें शीर्ष बैंक के पास वे जो धनराशि प्रति पुनर्खरीद सुविधा के माध्यम से जमा करते हैं, उसके लिए ब्याज लेना होगा। इस्लामिक बैंकिंग ब्याज लेने की अनुमति नहीं देती और इसलिए मौजूदा बैंककारी विनियमन

अधिनियम के तहत उसकी भारत में स्थापना करना संभव नहीं है।"

केन्द्रीकृत अपने ग्राहक को जानिए केवल अनुपम ग्राहक पहचान कूट जारी किए जाने के बाद ही

भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री जी. पद्मनाभन ने कहा है कि "सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र के लिए एक केन्द्रीकृत अपने ग्राहक को जानिए (KYC) रजिस्ट्री की स्थापना करना केवल अनुपम ग्राहक पहचान कूट (UCIC) को कार्यान्वित किए जाने के बाद ही संभव होगा। केन्द्रीकृत अपने ग्राहक को जानिए (KYC) रजिस्ट्री से प्रयासों की द्विरावृत्ति समाप्त हो जाएगी तथा वह पूरी वित्तीय प्रणाली में अपने ग्राहक को जानिए, धन शोधन निवारण तथा वित्तीय आतंकवाद की रोक (CFT) के सत्यापनों को परिष्कृत करेगी।"

विदेशी बैंकों को कृषि वित्त और लघु एवं मध्यम उद्यमों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के. सी. चक्रवर्ती ने कहा है कि यहीं वह समय है जब भारत में मौजूद विदेशी में मुख्यालय वाले बैंकों को कृषि और लघु एवं मध्यम उद्यम (SME) क्षेत्रों के लिए काफी कुछ अधिक करना चाहिए। "हमें विदेशी बैंकों से नये उत्पाद, सेवाएं, नये विन्यास और नये नवोन्मेषण लाने की अपेक्षा है। मैं व्युत्पन्नी (Derivative) बाजार में अथवा सीमा पार वाले वित्तीयन की बजाय कृषि और लघु एवं मध्यम उद्यम में अधिक नवोन्मेषण चाहता हूं। निजी और विदेशी बैंक कृषि वित्त और लघु एवं मध्यम उद्यम वित्त में क्रांति ला सकते हैं, जैसा कि उन्होंने खुदरा बैंकिंग और उसके साथ ही प्रौद्योगिकीय मोर्चे पर कर दिखाया है।"

सकल घरेलू उत्पाद पर बासेल का प्रभाव अस्थायी

बासेल समिति के एक अध्ययन का उल्लेख करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री आनंद सिन्हा ने कहा है कि बासेल ||| को 35 तिमाहियों में पूरी तरह लागू किए जाने पर सकल घरेलू उत्पाद में 0.22% की गिरावट आएगी। हालांकि, वह 35 तिमाहियों के बाद अपनी मूल राह पर वापस मुड़ जाएगा। "वित्तीय स्थिरता की तलाश का बैंकों की वृद्धि पर प्रभाव पड़ सकता है। एक प्रमुख चिंता यह है कि बासेल ||| के अनुसार पूंजी विन्यास में अपेक्षित इकिवटी के काफी उच्चतर स्तर के आधार पर पूंजी का सुरक्षित भण्डार बैंकों को इकिवटी पर पर्याप्त रूप से कम प्रतिलाभ वाली स्थिति में पहुंचा देगा। फिर निवेशक के हित को बनाए रखना कठिन हो जाएगा, इसप्रकार पूंजी जुटाना कठिन हो जाएगा।"

अनिरुद्ध सरकारी प्रतिभूतियां वापस खरदने से सम्बन्धित मानदंड आसन्न

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री एच. आर. खान द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक का एक संयुक्त कार्य दल अनिरुद्ध सरकारी प्रतिभूतियों की वापसी खरीद से सम्बन्धित मानदंड तैयार करने की दिशा में कार्यरत है। "आगे चल कर कम परिमाण वाली प्रतिभूतियों का भुगतान करने हेतु प्रीमियमों का प्रावधान करने के लिए कुछ बजट अलग रखा जाना होगा। बैंक स्वयं अपनी कारपोरेट बचाव व्यवस्था नीति पर ध्यान नहीं देते और विदेशी मुद्रा की हानियों और अतिशय लीवरेज के कारण कारपोरेट ऋण पुनर्व्यवस्था (CDR) के मामलों के उठने पर कठिनाई में पड़ जाते हैं। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए वे जिन कम्पनियों का वित्तीयन कर रहे हैं उनके पास बचाव व्यवस्था की नीति मौजूद है, उन पर आवश्यक रूप से निगरानी रखनी चाहिए तथा उनकी समीक्षा करनी चाहिए। वर्तमान में यद्यपि बचाव व्यवस्था (Hedging) के लिए ऋण चूक अदला-बदली (CDS) और ब्याज दर अदला-बदली (IRS) के विकल्प मौजूद हैं, किन्तु उनका उपयोग नहीं किया गया है। हमारे पास बचाव व्यवस्था के उद्देश्यों के लिए एक कार्य दल मौजूद है।"

मात्रात्मक सहूलियत का प्रभाव भारत में दिखाई देना अब भी शेष

भारतीय रिजर्व बैंक को अमरीकी फेडरल रिजर्व के तीसरे दौर वाले (Q3) मात्रात्मक सहूलियत के उपायों का कोई तात्कालिक प्रभाव परिलक्षित होना अब भी शेष है। भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण का कहना है कि "यदि घरेलू गतिशीलता पर - या तो वृद्धि या फिर मुद्रास्फीति पर उनका प्रभाव पड़ता है, तो हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा। सरकार की हाल की घोषणाओं की पृष्ठभूमि में रूपया भी स्थिर हो गया है। इससे यह पता चलता है कि घरेलू कारक पूँजी प्रवाहों की मात्रा के महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व होते हैं। इससे इस आशय का तर्क देने वालों को कुछ प्रोत्साहन मिल सकता है कि सुधार की इस गति को जारी रखने से वृद्धि को कुछ लाभ पहुंचेगा, किन्तु उसके साथ ही उसका मुद्रास्फीति पर भी कुछ न कुछ अप्रत्यक्ष प्रभाव होगा।"

विनिमय दर की स्थिरता को निष्प्रभावी करने हेतु बचाव व्यवस्था के साधनों का उपयोग करें

भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री जी. पद्मनाभन ने कहा है कि निर्यातक विनिमय दर की स्थिरता से बचाव व्यवस्था के साधनों का उपयोग करके नकदी प्रवाहों में अनिश्चितता का प्रबन्धन करके निपट सकते हैं। "हमें रूपये की अस्थिरता को झेलना होगा। विदेशी प्रवाह वैश्विक बाजारों में व्याप्त अनिश्चितता और विक्षोभक घरेलू वातावरण के कारण नहीं आ रहे हैं।"

बीमा

बैंकबीमा के लिए इर्डा के संशोधित मानदंडों का प्रारूप

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने बैंकबीमा गठजोड़ों के सम्बन्ध में विनियमनों के प्रारूप का एक संशोधित सेट जारी किया है, जिनसे बैंकों और बीमाकर्ताओं को अधिक सुविधा प्राप्त होने तथा पूरे देश में बीमा की पैठ बढ़ाने की भी की आशा है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने कहा है कि "बैंकबीमा का वितरण या तो एजेन्सी चैनल या फिर दलाली चैनल के माध्यम से होगा। किसी दलाली चैनल के माध्यम से बैंकबीमा का संचालन बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) विनियम, 2002 के द्वारा अभिशासित होगा।"

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) तेजी से अनुमोदन की व्यवस्था पर कार्यरत

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) द्वारा शीघ्र ही नये बीमा उत्पादों के अपेक्षाकृत तीव्र गति से विनियामक अनुमोदन के लिए एक व्यवस्था तैयार किए जाने की आशा है। विनियामक बीमा की पैठ बढ़ाने के लिए कम्पनियों को कम प्रीमियम वाले उत्पादों की शुरुआत करने हेतु भी प्रोत्साहित करता है। बीमा क्षेत्र के विकास के लिए एक व्यापक रूपरेखा की शीघ्र ही आशा की जा रही है।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

जापानी एटीएम पहचान करने हेतु हाथ को क्रमवीक्षित करता है

जापान में एक क्षेत्रीय बैंक ने ऐसे एटीएमों को परिचालित करना आरंभ कर दिया है, जिनमें प्लास्टिक कार्डों की जरूरत नहीं होती, अपितु इसके बजाय वे खाता धारकों की पहचान उनके हाथों को क्रमवीक्षित (Scanning) करके कर लेते हैं। गिफू प्रिफेक्चर में स्थित 'ओगाकी क्योरिस्यू बैंक' द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का उपयोग करने वाले खाता धारकों से यह अपेक्षित है कि वे जन्म दिन को इनुट करें, संवेदक (सेंसर) पर अपनी हथेली रखें तथा एटीएम में एक पिन प्रविष्ट करें।

विदेशी मुद्रा

आसान बचाव व्यवस्था विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए निवेश आसान कर देती है

भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) के लिए घरेलू इकिवटी और ऋण बाजारों में निवेश करना आसान बना दिया है। अब विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) अपने मुद्रा जोर्ड खम को इकिवटी और / अथवा ऋण में अपने सम्पूर्ण निवेश के बाजार मूल्य पर प्रतिरक्षित करने हेतु विदेशी मुद्रा का लेनदेन करने हेतु प्राधिकृत किसी भी श्रेणी। वाले व्यापारी बैंक से संपर्क कर सकते हैं। इस उपाय का उद्देश्य रुपया-डालर की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव में अस्थिरता को सहज बनाने के लिए विदेशी मुद्रा के अंतर्वाह को आकर्षित करना हो सकता है। अब तक विदेशी संस्थागत निवेशकों के

खाते रखने वाली प्राधिकृत व्यापारी (AD) | बैंकों की केवल अभिहित शाखाएं ही उनके मुद्रा जोखिमों को प्रतिरक्षित करने हेतु विदेशी मुद्रा को खरीदने-बेचने वालों के रूप में कार्य कर सकती थीं।

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	19 अक्टूबर 2012 के दिन	19 अक्टूबर 2012 के दिन
	बिलियन रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
	1	2
कुल प्रारक्षित निधियां	15, 830, 6	2 95,235.2
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	13, 986.9	2 60,377. 9
ख) सोना	1, 482, 5	28, 132. 9
ग) विशेष आहरण अधिकार	239, 2	4, 453.2
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की रिस्ति	122.0	2, 271.2

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

नवम्बर 2012 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की न्यूनतम दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक जमाराशियों के लिए लिबोर / अदला-बदली

	लिबोर	अदला-बदली	
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.87550	0.396	0.516	0.676	0.874
जीबीपी	1.09563	0.7137	0.7945	0.9195	1.0814
यूरो	0.55071	0.492	0.618	0.781	0.990
जापानी येन	0.51514	0.263	0.267	0.287	0.330
कनाडाई डालर	1.96200	1.372	1.452	1.559	1.672
आस्ट्रेलियाई डालर	4.02600	2.965	3.035	3.224	3.334
स्विस फ्रैंक	0.32600	0.138	0.163	0.230	0.338
डैनिश क्रोन	0.72750	0.7340	0.8540	1.0320	1.2250
न्यूजीलैंड डालर	3.41000	2.670	2. 793	2.930	3.080
स्वीडिश क्रोनर	2.16500	1.388	1.438	1.529	1.640
सिंगापुर डालर	0.50000	0.520	0.610	0.800	0.968

हांगकांग डालर	0.41000	0.430	0.500	0.580	0.780
एमवाईआर	3.16000	3.130	3.160	3.230	3.300

स्रोत : विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ

ग्रामीण बैंकिंग

केन्द्र ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलयन की शुरूआत की

सरकार ने उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के आपसी विलयन की शुरूआत कर दी है। इसके शीघ्र बाद बड़े पैमाने वाली किफायतें लाने और देश के वित्तीय समावेशन की कार्यसूची को आगे बढ़ाने के एक प्रयास के रूप में सात और राज्यों में विलयन किए जाएंगे। आपसी विलयन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विभिन्न प्रायोजक बैंकों के अधीन मिश्रण है जिसके फलस्वरूप भविष्य में राज्य-वार ग्रामीण बैंकों का गठन किया जाने वाला है। वर्तमान चरण में सरकार की योजना एक राज्य के भीतर भौगोलिक रूप से निकटस्थ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को समामेलित करके उनकी संख्या को और घटा कर 46 पर लाने की है। सरकार बड़े पैमाने वाली किफायतें लाने, लागत घटाने तथा उन्हें वित्तीय समावेशन का दायित्व संभालने हेतु तैयार करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को समेकित करना चाहती है।

नयी नियुक्तियां

- श्री दामोदर आचार्य को भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री टी. एम. भसीन को भारतीय बैंक संघ (IBA) के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री एस विश्वनाथन को भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्रीमती एस. ए. पणसे को इलाहाबाद बैंक की अध्यक्षा एवं प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री सतीश कुमार कालरा को आन्ध्रा बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

- श्री भूपेन्द्र नैयर को ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

14

- श्री माइकल कोरबट को सिटी ग्रुप इंक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गठजोड़ हुआ	उद्देश्य
आईसीआईसीआई बैंक	इकोबैंक ट्रान्सनेशनल इनकार्पोरेटेड (अफ्रीका)	पूरे भारत और अफ्रीका में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना।
यूको बैंक और रीवा सीधी ग्रामीण बैंक	महिन्द्रा एण्ड म हिन्द्रा	वाहन वित्त प्रदान करना।
उचडीएफसी बैंक	इंडियन आइल कार्पोरेशन	बाद वाले के ग्रामीण पेट्रोल पंप बिक्री केन्द्रों और किसान सेवा केन्द्रों के माध्यम से कर्स्बाई और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना। किसान सेवा केन्द्र एचडीएफसी बैंक के कारबार संपर्कों के रूप में कार्य करेंगे।
कर्नाटका बैंक	नैशनल कोलैटर ल मैनेजमेंट स विसेज लिमिटेड (NCMSL)	उद्योगों, व्यापारियों और किसानों की उनकी पूँजी आवश्यकताओं का वित्तीयन करने में सहायता करना।

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (क्रमशः :)

दबाव परीक्षण पर आलेख

दबाव परीक्षण पर अपनी सूचनाओं के क्रम को जारी रखते हुए हम इस अंक में विशिष्ट जोखिमों और उत्पादों के दबाव परीक्षण के विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। संकट के पूर्व वाले दबाव परीक्षणों में जिन पहलुओं को छोड़ दिया जाता था और जोखिमों का पूर्णतः एवं प्रभावी रीति से पता लगाने के लिए दबाव परीक्षणों की गुंजाइश के व्यापक वर्णक्रम पर इसके नीचे चर्चा की जा रही है।

विशिष्ट जोखिमों और उत्पादों के दबाव परीक्षण

अधिकांश दबाव परीक्षणों में जिन विशिष्ट जोखिमों का पर्याप्त विस्तार के साथ समावेश नहीं किया गया था उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- दबावग्रस्त चलनिधि स्थितियों के अधीन जटिल संरचित उत्पादों के व्यवहार;

- पाइपलाइन अथवा प्रतिभूतिकरण जोखिम;

15

- बचाव व्यवस्था रणनीतियों की तुलना में आधार जोखिम;
- प्रतिपक्ष ऋण जोखिम;
- आकस्मिक जोखिम; और
- निधीयन चलनिधि जोखिम

संकट के पूर्व संरचित उत्पादों तथा विशेष सुविधाप्राप्त उधारों का दबाव परीक्षण करते समय परिदृश्य पर्याप्त रूप से गंभीर नहीं थे। इसका कारण कुछ स्तर तक पारंपरिक आंकड़ों पर निर्भरता हो सकता है। सामान्य रूप से संरचित उत्पादों के दबाव परीक्षणों को उन्हीं समस्याओं से निपटना पड़ा जो इस क्षेत्र के अन्य जोखिम प्रबन्धन मॉडेलों को करना पड़ा था, जिसमें वे इस बात की पहचान करने में विफल रहे कि संरचित लिखतों की जोखिम गतिशीलताएं बॉण्डों जैसे उसी प्रकार के श्रेणी-निर्धारित नकद लिखतों से भिन्न होती हैं। ये अंतर विशेष रूप से संकट के दौरान उभरे, जिनसे दबाव परीक्षण के कार्य-निष्पादन के स्तर में गिरावट आई। विशेष रूप से दबाव परीक्षणों में अन्तर्निहित ऋण जोखिमों (Exposures) की ऋण गुणवत्ता और उसके साथ ही संरचित उत्पादों की अनूठी विशेषताओं को भी विशिष्ट रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त दबाव परीक्षणों में यह भी मान लिया गया कि संरचित उत्पादों के बाजार अनिरुद्ध (Liquid) बने रहेंगे अथवा यदि बाजारों की अनिरुद्धता क्षीण होती है, तो भी यह लम्बी अवधि वाली स्थिति नहीं होगी। इसका अर्थ यह भी हुआ कि बैंकों ने नये संरचित उत्पाद जारी करने से जुड़े पाइपलाइन जोखिमों का अल्प अनुमान लगाया था।

कई एक मामलों में दबाव परीक्षण केवल दिशात्मक जोखिमों से सम्बन्धित थे तथा उनमें आधार जोखिम का पता नहीं लगाया गया, जिससे बचाव व्यवस्था की प्रभावशीलता कम हो गई। संकट की एक अन्य विशेषता थी गलत तरीके वाला जोखिम, उदाहरण के लिए जो एकपक्षीय (monoline) बीमाकर्ताओं से खरीदे गए ऋण संरक्षण से सम्बन्धित थी।

इसके अलावा, प्रतिपक्ष ऋण जोखिम के लिए दबाव परीक्षणों में विशिष्ट रूप से किसी प्रतिपक्ष के मामले में केवल एक ऐसे जोखिम कारक पर बल दिया गया, जो अपर्याप्त रूप से गंभीर थे तथा आम तौर पर उनमें ऋण जोखिम और बाजार जोखिम (विशिष्ट गलत तरीके वाले जोखिम) के बीच अंतःक्रिया की अनदेखी कर दी गई। प्रतिपक्ष के ऋण जोखिम के दबाव परीक्षण को विभिन्न प्रतिपक्षों के मामले में लागू किए गए दबावों तथा बहुविध जोखिम कारकों और उनके साथ ही उन कारकों, जिनमें वर्तमान मूल्यांकन समायोजनों का समावेश हो, का उपयोग करके सुधारा जा सकता है।

इन मॉडेलों की एक और कमजोरी यह थी कि वे उन आकस्मिक जोखिमों का पर्याप्त रूप से पता नहीं लगाते थे जो या तो कानूनी रूप से बाध्यकर ऋण एवं चलनिधि व्यवस्थाओं से या फिर उदाहरण के लिए तुलनपत्र -बाह्य प्रयोजनों से सम्बन्धित प्रतिष्ठात्मक चिंताओं से पैदा हुए थे। यदि दबाव परीक्षणों में तुलनपत्र बाह्य ऋण जोखिमों (Exposures) से जुड़े संविदात्मक एवं प्रतिष्ठा जोखिमों का पर्याप्त रूप से पता लगाया गया होता, तो ऐसे ऋण जोखिमों (Exposures) में संकेन्द्रण से बचा जा सकता था। जहां तक निधीयन चलनिधि का प्रश्न है, दबाव परीक्षणों में संकट के प्रणालीगत स्वरूप और अंतर-बैंक बाजारों में रुकावट की विशालता और अवधि का पता नहीं लगाया गया था।

वित्तीय सकट पैदा होने के समय से दबाव परीक्षणों पर चर्चा से दबाव परीक्षण की सम्पूर्ण संरचना के सम्बन्ध में अधिक स्पष्टता आएगी, जो आईआईबीएफ विज्ञन के आगामी अंक में प्रकाशित होगी।

स्रोत : अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

बाल्टिक बाजार

वह बाजार जो वास्तविक संविदाओं और नौवहन एवं समुद्री परिवहन से सम्बन्धित व्युत्पन्न नियों (Derivatives), दोनों ही के लेनदेनों और निपटान का संचालन करता है। बाल्टिक बाजार भाड़े के दैनिक मूल्य प्रदान करता है तथा कतिपय सचूकांकों के माध्यम से नौवहन लागतों का भी निर्धारण करता है। व्यापारी इन सूचकांकों का उपयोग उन वायदा भाड़ा करारों (FFAs) का निपटान करने हेतु करते हैं, जो भाड़ा वायदा सौदा संविदाएं (Freight Futures Contracts) होते हैं।

शब्दावली

मात्रात्मक सहूलियत

मात्रात्मक सहूलियत केन्द्रीय बैंकों द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए उस समय उपयोग में लाई जाने वाली गैर-परंपरागत मौद्रिक नीति होती है जब परंपरागत मौद्रिक नीति अप्रभावी हो जाती है। केन्द्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में पूर्व-निर्धारित मात्रा में धन लगाने के उद्देश्य से वाणिज्यिक बैंकों और अन्य निजी संस्थाओं से नयी-नयी सृजित धनराशि से से वित्तीय आस्तियां खरीद कर मात्रात्मक सहूलियत कार्यान्वित करता है। यह बाजार की ब्याज दरों को एक विनिर्दिष्ट लक्ष्य वाले मूल्य पर रखने के लिए सरकारी बॉण्डों की खरीद या बिक्री करने वाली अधिक सामान्य नीति से अलग होती है।

ऋण अंतरण - निपटान प्रणाली (Giro)

यह एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में भुगतान का अंतरण होता है और भुगतानकर्ता, न कि आदाता द्वारा प्रेरित होता है। ऋण अंतरण - निपटान प्रणालियां (Giro) मूल रूप से एक यूरोपीय प्रवृत्ति हैं, यद्यपि स्वचालित समाशोधन गृह जैसी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियां संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में मौजूद हैं, तथापि उनसे अन्य पक्ष को अंतरण अब तक संभव नहीं है।

संस्थान की गतिविधियां

आईआईबीएफ लीडरशिप सेंटर, कुर्ला में नवम्बर 2012 महीनों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	कार्यक्रम	तिथि
1	टॉपसिम कार्यक्रम	5 से 6 नवम्बर, 2012 तक
2	बैंक ऑफ इंडिया के सीधे भर्ती हुए अधिकारियों के लिए विषयन एवं ग्राहक परिचर्या पर कार्यक्रम	5 से 9 नवम्बर, 2012 तक
3	सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा और साइबर अपराध पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	29 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2012 तक

आईआईबीएफ लीडरशिप सेंटर, कुर्ला में अक्टूबर, 2012 माह के दौरान पूरी की गई प्रशिक्षण की गतिविधियां

क्रम सं.	कार्यक्रम	तिथि	सहभागियों की संख्या
1	ऋण मूल्यांकन कार्यक्रम	8 से 12 अक्टूबर, 2012 तक	31
2	लघु एवं मध्यम उद्यमों का वित्तीयन	15 से 19 अक्टूबर, 2012 तक	32
3	नेतृत्व विकास कार्यक्रम	29 से 31 अक्टूबर, 2012 तक	34

उन्नत प्रबन्धन कार्यक्रम (AMP)

संस्थान ने 2012-13 के लिए आईआईबीएफ लीडरशिप सेंटर, कुर्ला, मुंबई में बैंकिंग एवं वित्त में उन्नत प्रबन्धन कार्यक्रम (AMP) की घोषणा की है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

संस्थान समाचार

परियोजना वित्त

संस्थान आईएफएमआर, चेन्नै के सहयोग से परियोजना वित्त में प्रमाणपत्र के 19 वें बैच का आयोजन कर रहा है। उक्त कैम्पस प्रशिक्षण कार्यक्रम 10 से 15 दिसम्बर, 2012 तक आयोजित होगा। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

18

जेएआईआईबी / बैंकिंग एवं वित्त में डिप्लोमा / सीएआईआईबी के लिए छद्म परीक्षा

संस्थान ने जेएआईआईबी / बैंकिंग एवं वित्त में डिप्लोमा / सीएआईआईबी के सभी अभ्यर्थियों के लिए छद्म परीक्षा कार्यक्रम के आयोजन की व्यवस्था की है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

जेएआईआईबी / बैंकिंग एवं वित्त में डिप्लोमा / सीएआईआईबी के लिए वेब-कक्षाएं एवं ई-शिक्षण

संस्थान ने जेएआईआईबी / बैंकिंग एवं वित्त में डिप्लोमा / सीएआईआईबी के सभी अभ्यर्थियों के लिए वेब-कक्षाओं और ई-शिक्षण की शुरुआत की है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

ई-मेल के माध्यम से आईआईबीएफ विज्ञन

संस्थान ने अक्टूबर 2012 से आईआईबीएफ - विज्ञन उसके पास पंजीकृत ई-मेल पतों पर ई-मेल द्वारा भेजना आरंभ कर दिया है। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल आईडी पहले न पंजीकृत कराए हों, उनसे अनुरोध है कि वे संस्थान के पास उन्हें यथशीघ्र पंजीकृत करा लें।

आईआईबीएफ की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य पर्याप्तताओं से छांट कर निकाली गई अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपने पोर्टल पर डाल रखी है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

हीरक जयंती और सी. एच. भाभा बैंकिंग विदेशों में अनुसंधान अध्येतावृत्ति (फेलोशिप)

संस्थान द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए हीरक जयंती और सी. एच. भाभा बैंकिंग विदेशों में अनुसंधान अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) हेतु प्रस्ताव आमंत्रित हैं।

* भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत * डाक पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12

* प्रत्येक महीने की 25वीं को प्रकाशित * मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रेषित

* प्रेषण की तिथि प्रत्येक महीने की 25वीं से 30वीं तारीख

बाजार की खबरें

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दरें

90
85
80
75
70
65
60
55
50

03/10/12 04/10/12 05/10/12 08/10/12 11/10/12 12/10/12 15/10/12 18/10/12
23/10/12 29/10/12 30/10/12

अमरीकी डालर यूरो 100 जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

खोल : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)

- 3री को रुपये में 24 पैसे की मूल्यवृद्धि हुई, क्योंकि वह डालर के समक्ष लगातार चौथे दिन बढ़ कर 52.15 पर बंद हुआ, जो साढ़े पांच माह का उच्च स्तर रहा।
- 8वीं को रुपया लुढ़क कर एक सप्ताह पहले वाले स्तर पर पहुंच गया तथा उसने तीन माह में एक दिवसीय सर्वोच्च गिरावट दर्ज की। रुपया 52.65 तक पहुंचने के बाद 52.64/65 पर बंद हुआ।
- 9वीं को रुपया एक सप्ताह में अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया और लागातार तीसरे सत्र में गिरने के बाद 52.72/73 पर बंद हुआ, क्योंकि व्यापक रुप से आयातकों से डालर की मांग और डालर के व्यापक अल्प क्रय (Short covering) ने घरेलू शेयरों में लाभों से जुड़े अंतर्वाहों की क्षतिपूर्ति कर दी।
- 11वीं को इस अटकल पर कि राष्ट्र की तुलनात्मक दृष्टि से तीव्र वृद्धि विदेशी पूँजी को आकर्षित करेगी रुपया 4 दिनों के गिरावट वाले सिलसिले को तोड़ के 0.5% बढ़ कर प्रति डालर 52.78 हो गया।
- 30वीं को दिन भर के उत्तार-चढ़ाव के बाद मजबूत हुआ, अटकल के आधार पर निर्यातकों ने 5 सप्ताह से अधिक की अवधि में सर्वोत्तम विनिमय दर से लाभ उठाने के लिए डालर बेच दिया। रुपया बढ़ कर प्रति डालर 53.90 हो गया।
- माह के दौरान रुपये में सभी स्तरों पर मूल्यह्रास हुआ, जो अमरीकी डालर के समक्ष 3.5%, जीबीपी के समक्ष 3%, यूरो के समक्ष 3.55% और जापानी येन के समक्ष 1.98% रहा।

भारित औसत मांग दरें

8.20

8.10

20

8.00

7.90

7.80

7.70

7.60

7.50

01/10/12 03/10/12 04/10/12 05/10/12 06/10/12 08/10/12 10/10/12 13/10/12 16/10/12

20/10/12 22/10/12 25/10/12

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूजलेटर, मार्च, 2012

- 13वें को मांग दरें 7.68% के न्यूनतम स्तर और 22 अक्टूबर, 2012 को 8.08% के सर्वोच्च स्तर के बीच घटती-बढ़ती रहीं।
- मांग अथवा उसके अभाव के परिणामस्वरूप मांग दरें मामूली परिवर्तन के साथ श्रेणीबद्ध बनी रहीं।

बम्बई शेयर बाजार सूचकांक

18900

18800

19700

18600

18500

18400

01/10/12 03/10/12 08/10/12 10/10/12 11/10/12 16/10/12 18/10/12 24/10/12 26/10/12

29/10/12 30/10/12 31/10/12

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल,
डॉ. ई. मोजेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग^{एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला}

(पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. आर. भास्करन

21

सेवा में

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज्ञन नवम्बर, 2012